

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- गुगली, शरणाचाई, बीणा तल्ला, काफलपानी, _____
तहसील-पोखरी, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.0 हे०, सिविल सोयम भूमि 4.2 हे०, वन पंचायत भूमि 3.15 हे०) अर्थात् कुल 7.35हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुगली, शरणाचाई, बीणा तल्ला, ढामक, काफलपानी द्वारा दिनांक 12.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुगली, शरणाचाई, बीणा तल्ला, ढामक, काफलपानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित 21/01/2017
वि०ख० पोखरी(चमोली)

megi
17/1/2017
सचिव,
वन पंचायत बीणा तल्ला
बिचला नागपुर चमोली

सरपंच
गुगली, शरणाचाई
नागपुर चमोली

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
दि० 17/01/2017
प्रधान ग्राम पंचायत शरणाचाई, चमोली